

Title: Need to enquire into ill treatment meted out to passengers waiting for Laddakh bound flight at Delhi Airport.

श्री शुपरतान छेवांग (लढाख) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र लढाख के विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने का अवसर दिया है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे लढाख क्षेत्र में सर्दियों के 6-7 महीने बर्फबारी की वजह से सड़कें आवाजाही के लिए बंद हो जाती हैं। लढाख में आने-जाने का एक ही साधन होता है, वह हवाई जहाज के जरिए होता है। पिछले दो-तीन हफ्तों से मौसम की खराबी के कारण जहाजों की आवाजाही में विघ्न पड़ा है और बहुत सी फ्लाइट्स के कैंसिलेशन हो रहे हैं। इसकी वजह से लढाख जाने वाले सैकड़ों यात्री दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल-1, टर्मिनल-3, जम्मू के हवाई अड्डे पर और चंडीगढ़ के हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं और उनको असुविधा हो रही है। बजाय इसके कि एयरलाइंस उनके साथ सहानुभूति दिखाएं, उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। एयरलाइंस उनके साथ ज्यादाती कर रही हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एक एक निर्देश है - "Civil Aviation Requirements (CAR), Section-3, Series-M, Part-IV on 'Facilities to be provided to passengers by airlines due to denied boarding, cancellation of flights and delay in flights.'" इसके बारे में निर्देश दिया गया है कि अगर फ्लाइट डिले होती है तो उनके लिए खाने-पीने की व्यवस्था करें अगर कैंसल होती है तो उनको ठहरने की सुविधा दी जाए।...(व्यवधान)